

अनुलग्नक-4 अनुलग्नक

स्टॉक ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों तथा ग्राहकों के अधिकार एवं दायित्व SEBI एवं स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित

1. ग्राहक एक्सचेंजों/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) के नियमों, उप-नियमों और विनियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिसों में दी गई परिभाषा के अनुसार एक्सचेंजों में/पर सौदा करने के लिए प्रस्तुत की गई उन प्रतिभूतियों/कांट्रैक्ट्स (अनुबंधों)/अन्य विलेखों (इंस्ट्रुमेंट्स) में निवेश/ट्रेड करेगा।
2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और ग्राहक समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले एक्सचेंज द्वारा जारी सभी नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों एवं सरकारी प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
3. ग्राहक प्रतिभूतियों में सौदा करने और/या डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में सौदा करने के लिए स्टॉक ब्रोकर की क्षमता से संतुष्ट होगा और स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा रखता है, और ग्राहक समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आदेशों को निष्पादित करने से पहले उसकी क्षमता से स्वयं को संतुष्ट करता रहेगा।
4. स्टॉक ब्रोकर लगातार ग्राहक की वास्तविकता एवं वित्तीय मजबूती एवं दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार निवेश उद्देश्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
5. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की कार्य सीमा, देयता या क्षमता सहित किए जाने वाले व्यवसाय के लिए स्टॉक ब्रोकर की देयता की निर्धारित प्रकृति के बारे में जानकारी देने के लिए कदम उठाएगा।
6. सब-ब्रोकर ग्राहक के साथ सभी सौदों में स्टॉक ब्रोकर को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।

ग्राहक के बारे में जानकारी

7. ग्राहक वे सभी विवरण समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों/SEBI द्वारा अनिवार्य समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा जो स्टॉक ब्रोकर के लिए "खाता खोलने के फॉर्म" में दिया जाना आवश्यक है।
8. ग्राहक, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों के बारे में जानेगा। ग्राहक द्वारा स्वीकृत नियम एवं शर्तों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त उपबंध या दस्तावेज गैर-जरूरी होगा।
9. ग्राहक समाप्ति आवेदन/ऋणशोधन आवेदन या किसी भी अभियोग सहित - जिसका उसकी क्षमता पर कोई भी प्रभाव हो सकता है- खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉर्म' में दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने पर तुरंत ही स्टॉक ब्रोकर को लिखित में सूचित करेगा। ग्राहक आवधिक आधार पर स्टॉक ब्रोकर को वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा/अद्यतित करेगा।
10. स्टॉक ब्रोकर एवं सब-ब्रोकर खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों या ग्राहक से संबंधित अन्य सभी जानकारी को गुप्त रखेंगे और वे किसी विशेष कानूनी/विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत आवश्यक होने के अलावा किसी व्यक्ति/प्राधिकारी के समक्ष इसका खुलासा नहीं करेंगे। बशर्ते हालांकि स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की सहमति से उसकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

मार्जिन

11. ग्राहक लागू प्रारंभिक मार्जिन, काटी हुई मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य सभी मार्जिनों का भुगतान करेगा जिन्हें स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना जाता है या जैसा समय समय पर ग्राहक द्वारा ट्रेड किए जाने वाले सेगमेंटों पर लागू SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक माना जाता है। स्टॉक ब्रोकर को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में अतिरिक्त मार्जिन एकत्र करने की अनुमति है (भले ही एक्सचेंज, समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस)/समाशोधन निगम (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) या SEBI द्वारा आवश्यक न हो) और ग्राहक निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिनों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

12. ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान आवश्यक रूप से सभी बकायों की पूर्ति नहीं करता है। लगातार मार्जिनों का भुगतान करने के बावजूद भी ग्राहक, अपने ट्रेड के निपटान पर, अनुबंध के अनुसार निर्दिष्ट/आवश्यक उन सभी राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य (या प्राप्त करने का हकदार) है।

लेनदेन एवं निपटान

13. ग्राहक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कंट्रैक्ट की खरीद या बिक्री के लिए कोई भी आदेश लिखित में या उस अन्य रूप या तरीके से देगा जिस पर ग्राहक एवं स्टॉक ब्रोकर परस्पर सहमत हों। स्टॉक ब्रोकर केवल उस ग्राहक को आवंटित अद्वितीय ग्राहक कोड में आदेश देना और ट्रेडों को निष्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
14. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को ट्रेडिंग/निपटान चक्र, डिलीवरी/भुगतान अनुसूची, उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा और उसे इसके बारे में अवगत कराता रहेगा, और उस प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंज की ऐसी अनुसूचियों/प्रक्रियाओं का पालना करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।
15. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किए गए धन/प्रतिभूतियों को अलग खाते में रखा जाएगा जो उसके अपने खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग हो और इसे स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य ग्राहक के लिए या SEBI के नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नोटिसों, दिशानिर्देशों और/या एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों एवं नोटिसों में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
16. जहां एक्सचेंज अपनी ओर से ट्रेड (ट्रेडों) को रद्द करता है तो ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड/ट्रेडों सहित ऐसे सभी ट्रेड स्वतः ही रद्द को जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक(कों) के साथ संबंधित कांट्रैक्ट (कांट्रैक्ट्स) को रद्द करने का हकदार होगा।
17. एक्सचेंज पर निष्पादित किए गए लेनदेन नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उन एक्सचेंजों द्वारा जारी परिपत्रों/नोटिसों के विषयाधीन हैं जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है और ऐसे ट्रेड के सभी पक्षों को उन एक्सचेंजों के उप-नियमों एवं विनियमों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा जहां ट्रेड को एक्सचेंजों के नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है।

ब्रोकरेज (दलाली)

18. ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज एवं सांविधिक लेवी का भुगतान करना होगा जो समय समय पर प्रचलित होते हैं और जो ग्राहक के खाते, लेनदेनों एवं उन सेवाओं के लिए लागू होते हैं जिन्हें स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को प्रदान करता है। स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों और/या SEBI के नियमों एवं विनियमों के अनुसार मान्य अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज प्रभारित नहीं करेगा।

स्थिति का परिसमापन एवं बंद करना (पॉजिशन का लिक्विडेशन और क्लोज़-आउट)

19. स्टॉक ब्रोकर के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के अधिकार सहित), ग्राहक समझता है कि स्टॉक ब्रोकर मार्जिन या अन्य राशियों, बकाया ऋण आदि का भुगतान न करने पर ग्राहक की स्थितियों में से एक या सभी का परिसमापन/बंद करने के लिए हकदार होगा और ग्राहक की देनदारियों/बाध्यताओं के एवज में, ऐसे परिसमापन/समाप्ति से प्राप्त आय को समायोजित करने का हकदार होगा। इस तरह के परिसमापन/समाप्ति के कारण होने वाली कोई एक और सभी हानियां एवं वित्तीय प्रभार ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।
20. ग्राहक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में या ग्राहक द्वारा उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या उनके लिए भुगतान करने या उन्हें सुपूर्द करने या स्थानांतरित करने में असमर्थ होने की घटना में जिसे उसने खरीदने या बेचने के लिए आदेश दिया है, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की संपत्ति के खिलाफ ग्राहक के लेनदेनों को बंद कर सकता है और हानियों का दावा कर सकता है, यदि कोई हो। ग्राहक या उसके नामिती, वारिस, उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती (असाइनी) उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अधिशेष (लाभ) को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि एक नामिती के पक्ष में निधियों/प्रतिभूतियों का अंतरण कानूनी वारिस के खिलाफ स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्य तरीके से चुकाया जाएगा।
21. स्टॉक ब्रोकर एक ग्राहक द्वारा भुगतान/वितरण में चूक एवं संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी को संबंधित एक्सचेंज के संज्ञान में लाएगा। यदि दोषी ग्राहक एक निगमित इकाई/साझेदारी/स्वामित्व फर्म या कोई अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई है तो

मामले के अनुसार निदेशक(कों)/प्रोमोटर(रों)/स्वामी के नाम(मों) के बारे में भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा संबंधित एक्सचेंज(जों) को सूचित किया जाएगा।

विवाद निपटान

22. स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंजों एवं SEBI के प्रासंगिक संपर्क विवरण ग्राहक को प्रदान करेगा।
23. स्टॉक ब्रोकर अपने माध्यम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में और शेयरों के खराब वितरण, खराब वितरण के परिशोधन आदि के लिए आपत्तियों को हटाने के संबंध में ग्राहक की शिकायतों का निवारण करने में सहयोग करेगा।
24. ग्राहक एवं स्टॉक ब्रोकर जमा, मार्जिन धनराशि आदि के संदर्भ में किसी भी दावे और या विवादों को उन एक्सचेंजों के समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करेंगे जहां ट्रेड को निष्पादित किया गया है।
25. स्टॉक ब्रोकर अपने और ग्राहक के बीच होने वाले लेनदेनों से उत्पन्न होने वाली किसी भी मध्यस्थता की कार्यवाही का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा और वह इस तरह की कार्यवाही में दिए जाने वाले मध्यस्थता अधिनिर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।
26. ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर समझता है कि विवाद समाधान के लिए ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई हो, कथित प्रतिनिधि को कथित ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर की ओर से सौदा करने के लिए अधिकृत करते हुए पत्र के अनुसार ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर पर लागू होंगे।

संबंध की समाप्ति

27. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगा; यदि स्टॉक ब्रोकर के डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति सहित किसी भी कारण से स्टॉक ब्रोकर शेयर बाजार का सदस्य नहीं रहता है या प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया जाता है।
28. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक अन्य पक्षों को कम से कम एक महीने पूर्व लिखित सूचना देने के बाद, दूसरे पक्ष को कोई कारण बताए बिना उन दोनों के बीच संबंध समाप्त करने के हकदार होंगे। किसी भी तरह की समाप्ति के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पूर्व किए गए लेनदेनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी अधिकारों, देयताओं और दायित्वों/बाध्यताओं का निर्वाह किया जाना जारी रहेगा, जो मामले के अनुसार, संबंधित पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, वारिसों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर लागू होगा।
29. सब ब्रोकर के निधन/दिवालिया होने, या बोर्ड के साथ उसका पंजीकरण रद्द होने या/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सब-ब्रोकर की मान्यता छिनने और/या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सब-ब्रोकर के साथ अनुबंध की समाप्ति की घटना में, किसी भी कारण के लिए ग्राहक को ऐसी समाप्ति के बारे में सूचित करना होगा और ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर का प्रत्यक्ष ग्राहक होना चाहिए और स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक को शासित करने वाले 'अधिकार एवं दायित्व' दस्तावेज(जों) में सभी उपबंध समान रूप से लागू होंगे, जब तक ग्राहक एक महीने से अधिक के लिए लिखित में एक नोटिस देकर उनके संबंध को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में स्टॉक ब्रोकर को सूचित नहीं करता है।

अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व

30. स्टॉक ब्रोकर अपने माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में लाभांशों, अधिकारों या बोनस शेयरों आदि के लिए ग्राहक के अधिकारों के संबंध में ग्राहक के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके साथ ग्राहक के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है और जिसके लिए उन्होंने प्रतिभूतियों में लेनदेन किया हो सकता है।
31. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक समय समय पर SEBI एवं उन प्रासंगिक एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों, विनियमों, उप-नियमों, परिपत्रों, नोटिसों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खतों का मिलान करेंगे और निपटान करेंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

32. स्टॉक ब्रोकर अपने घटकों के लिए आदेश संख्या, ट्रेड संख्या, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट के विवरण, ग्राहक कोड, ब्रोकरेज, सभी लागू प्रभार आदि एवं इस तरह से तथा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे समय पर एवं उसमें भरने के लिए आवश्यक अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ सभी लेनेदेनों के रिकार्डों सहित समय समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए कंट्रैक्ट नोट जारी करेगा। स्टॉक ब्रोकर मुद्रित प्रति में और/या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ट्रेडों के निष्पादन से एक कार्य दिवस के भीतर निवेशकों को कंट्रैक्ट नोट भेजेगा।
33. स्टॉक ब्रोकर को मामले के अनुसार, उस प्रासंगिक एक्सचेंज से प्राप्त भुगतान की प्राप्ति से एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को निधियों या प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए भुगतान करना होगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है जब तक कि या तो ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो और उस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषयाधीन न हो।
34. स्टॉक ब्रोकर समय-समय पर उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी अवधि और प्रारूप में अपने ग्राहकों में से प्रत्येक के संबंध में निधियों और प्रतिभूतियों दोनों के लिए 'खाता विवरण' भेजेगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है। विवरण यह भी बताएगा कि ग्राहक, स्टॉक ब्रोकर से विवरण की प्राप्ति से समय समय पर, उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर गलतियों, यदि कोई हो, की सूचना देगा जहां ट्रेड निष्पादित किया गया था।
35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकों के लिए दैनिक मार्जिन विवरण भेजेगा। दैनिक मार्जिन विवरण में नकदी, सावधि जमा रसीद (FDR), बैंक गारंटी एवं प्रतिभूतियों से संबंध में ब्रेक-अप के साथ अन्य बातों के साथ संपार्श्विक (कोलेटरल) जमा, प्रयुक्त संपार्श्विक एवं संपार्श्विक स्थिति (ग्राहक से प्राप्त बैलेंस/बकाया) का विवरण शामिल होना चाहिए।
36. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कानूनी क्षमता है और वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है, और वह इसके अंतर्गत अपने दायित्वों और कार्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। सभी लेनदेनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य जिनमें ग्राहक प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले ग्राहक द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN)

37. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना चयन करता है तो उसे स्टॉक ब्रोकर को एक उपयुक्त ईमेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। ग्राहक को ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन से एक भौतिक पत्र के माध्यम से स्टॉक ब्रोकर को सूचित करना होगा। यदि ग्राहक ने इंटरनेट ट्रेडिंग का चयन किया है तो ईमेल आईडी के परिवर्तन के लिए अनुरोध ग्राहक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड के तरीके से सुरक्षित पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।
38. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम एवं IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे। यदि ECN को एक अनुलग्नक के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है तो संलग्न फाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एन्क्रिप्टेड एवं छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम रूप में सुरक्षित की जाएगी।
39. ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा बाउंस मेल सूचना प्राप्त न होने पर ग्राहक की ईमेल आईडी पर कंट्रैक्ट नोट की सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी।
40. स्टॉक ब्रोकर IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में एवं समय समय पर SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों/विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से सॉफ्ट एवं टेंपर किए जाने से अक्षम प्रारूप में ECN और ईमेल की पावती अपने पास रखेगा। सुपुर्दगी का साक्ष्य यानी कंट्रैक्ट नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग रिपोर्ट, SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा रखी जाएगी। लॉग रिपोर्ट उन कंट्रैक्ट नोट्स के विवरण प्रदान करेगी जो ग्राहक को प्राप्त नहीं हुए हैं/ईमेल अस्वीकृत हुई है या वापस आ गई है। स्टॉक ब्रोकर हर बार SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा बाउंस होने वाली ईमेलों की सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

41. स्टॉक ब्रोकर ऐसे ग्राहकों के लिए भौतिक तरीके से कंट्रैक्ट नोट भेजना जारी रखेगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना नहीं चुना है। जहां ECN ग्राहक तक नहीं पहुंचता है या ग्राहक की ईमेल आईडी से (ईमेल वाउंस) अस्वीकृत हो जाता है वहां स्टॉक ब्रोकर SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर ग्राहक को एक भौतिक कंट्रैक्ट नोट भेजेगा और इस तरह के भौतिक कंट्रैक्ट नोट्स की सुपुर्दगी का साक्ष्य बनाए रखेगा।
42. ग्राहक को ECN के ईमेल संचार के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर सुरक्षित तरीके से अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, समान समय में ECN प्रकाशित करेगा और ग्राहकों को उस पर उपयुक्त पहुंच के लिए सक्षम करेगा और इस उद्देश्य के लिए वह ग्राहक को अनुबंध नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट आउट लेने के विकल्प के साथ एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

कानून एवं न्यायिक क्षेत्र

43. इस दस्तावेज में वर्णित विशेषाधिकारों के अलावा, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक किसी भी अन्य अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जो स्टॉक ब्रोकर या ग्राहक को उन एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों जिसमें ग्राहक ट्रेड करने के लिए चयन करता है, तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों के तहत दिया गया हो सकता है।
44. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियम, दिशानिर्देश तथा SEBI द्वारा जारी परिपत्र/नोटिसों, और उन स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों के विषयाधीन होंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, और जो समय समय पर प्रभावी हो सकते हैं।
45. स्टॉक ब्रोकर एवं ग्राहक, मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ(थों) द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि यदि पार्टी मध्यस्थता अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर अपील का प्रावधान भी है।
46. शब्द एवं तात्पर्य/भाव जिनका इस दस्तावेज में उपयोग किया गया है किंतु यहां परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा एक्सचेंजों/SEBI द्वारा उसके तहत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ वाला माना जाएगा।
47. स्टॉक ब्रोकर द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक उपबंध/दस्तावेज, एक्सचेंजों/SEBI के नियमों/विनियमों/नोटिसों/परिपत्रों के उल्लंघन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक उपबंधों/दस्तावेज(जों) में किसी भी परिवर्तन के लिए 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ग्राहकों को भी अवगत कराया जाएगा।
48. यदि यहां पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों को SEBI के नियमों एवं विनियमों या उन स्टॉक एक्सचेंजों के उप-नियमों, नियमों एवं विनियमों में बदलाव के आधार पर बदला जाता है जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में शामिल किया हुआ माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकरों द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई इंटरनेट एवं वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग सुविधा (‘अधिकार एवं दायित्व’ दस्तावेज(जों) में वर्णित सभी खंड/उपबंध लागू होंगे। इसके अलावा, इसके अंतर्गत उल्लिखित खंड/उपबंध भी लागू होंगे।)

1. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) एवं प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्रात्र है जिनमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप, आदि उपकरणों का उपयोग शामिल होगा जिनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का उपयोग होता है। स्टॉक ब्रोकर SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए लागू सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
2. ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेश/ट्रेडिंग करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य के लिए ग्राहक या तो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा या वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की IBT सेवा प्रदान करेगा और ग्राहक स्टॉक ब्रोकर की IBT सेवा का लाभ उठाएगा जो SEBI/एक्सचेंजों के प्रावधानों और नियमों तथा स्टॉक ब्रोकर की IBT वेबसाइट पर निर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन है बशर्ते कि वे एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों।
3. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तकनीक/इंटरनेट/स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों एवं देनदारियों के बारे में ग्राहक को अवगत कराएगा।
4. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराएगा कि स्टॉक ब्रोकर का IBT सिस्टम प्रारंभिक पासवर्ड जनरेट करता है और इसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है।
5. ग्राहक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को गोपनीय एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए सभी आदेशों एवं लेनदेन के प्रति पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा जिसने ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम और/या पासवर्ड का उपयोग करते हुए स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम के माध्यम से इन्हें संपन्न किया हो, चाहे वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत हो या न हो। इसके अलावा ग्राहक यह भी जानता है कि आदेश रूटेड (अनुमार्गण) सिस्टम के माध्यम से वायरलेस तकनीक द्वारा इंटरनेट ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीकों एवं सखत सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि ग्राहक और या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारियों एवं डीलरों सहित किसी भी तृतीय पक्ष को पता नहीं चलता है।
6. ग्राहक इस बारे में तत्काल स्टॉक ब्रोकर को लिखित में सूचित करेगा यदि वह अपना पासवर्ड भूल जाता है, उसे स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम में सुरक्षा खामी का पता चलता है, ऐसे अनधिकृत उपयोग, तिथि, तरीके और ऐसे अनधिकृत उपयोग से प्रभावित लेनेदेनों आदि की पूरी जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता नाम/पावर्ड/खाते के माध्यम से विसंगतियों/अनधिकृत उपयोग का संदेह होता है/पता चलता है।
7. ग्राहक वायरलेस तकनीक के माध्यम से इंटरनेट/प्रतिभूति ट्रेडिंग से आर्डर रूट करने के लिए सेवा का लाभ उठाने के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में पूर्णतया अवगत है और समझता है तथा ग्राहक किसी भी प्रकार से ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड में किए गए सभी कृत्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगा।
8. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को उसके अनुरोध पर ईमेल के माध्यम से ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा। ग्राहक जानता है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के उपकरण पर ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा।
9. ग्राहक जानता है कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं तथा जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणालियां, संचार लाइनें, बाह्य उपकरण आदि रुकावटों एवं अव्यवस्थाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। स्टॉक ब्रोकर एवं एक्सचेंज इस बात का कोई निरूपण नहीं करते या गारंटी नहीं देते कि IBT सेवा बिना किसी रुकावट के हर समय ग्राहक के लिए उपलब्ध होगी।
10. ग्राहक, स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम या सेवा या एक्सचेंज की सेवा या प्रणालियों के किसी भी निलंबन, रुकावट, अनुपलब्धता या स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंजों के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज पर किसी भी लिंक/प्रणाली की विफलता के कारण अपने आदेशों के निष्पादन न होने पर, एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।